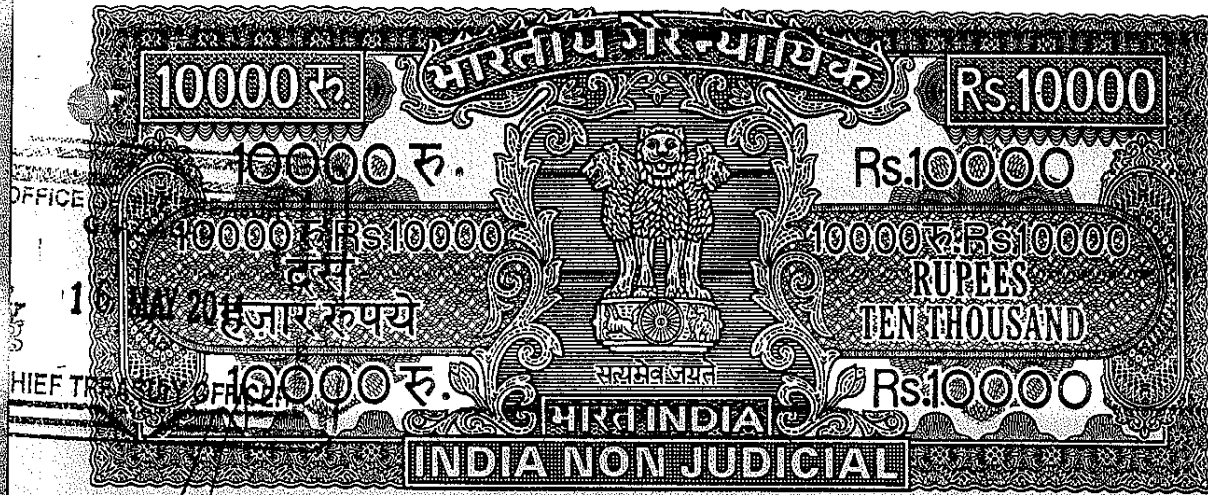




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

169880

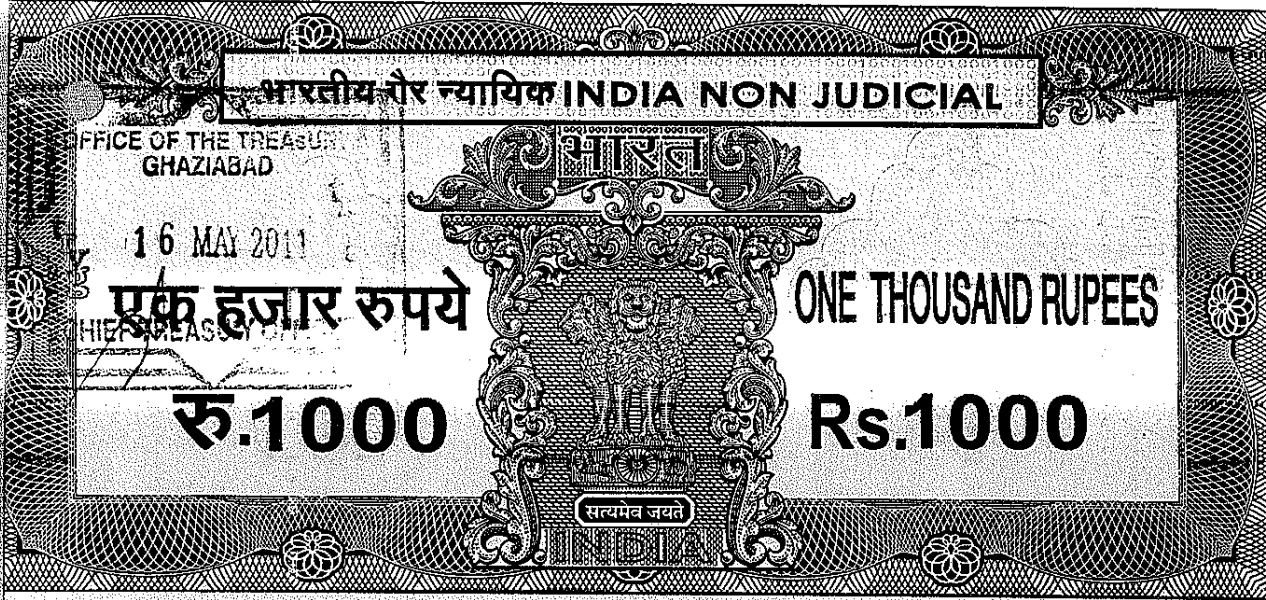
(25)

की धनराशि को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

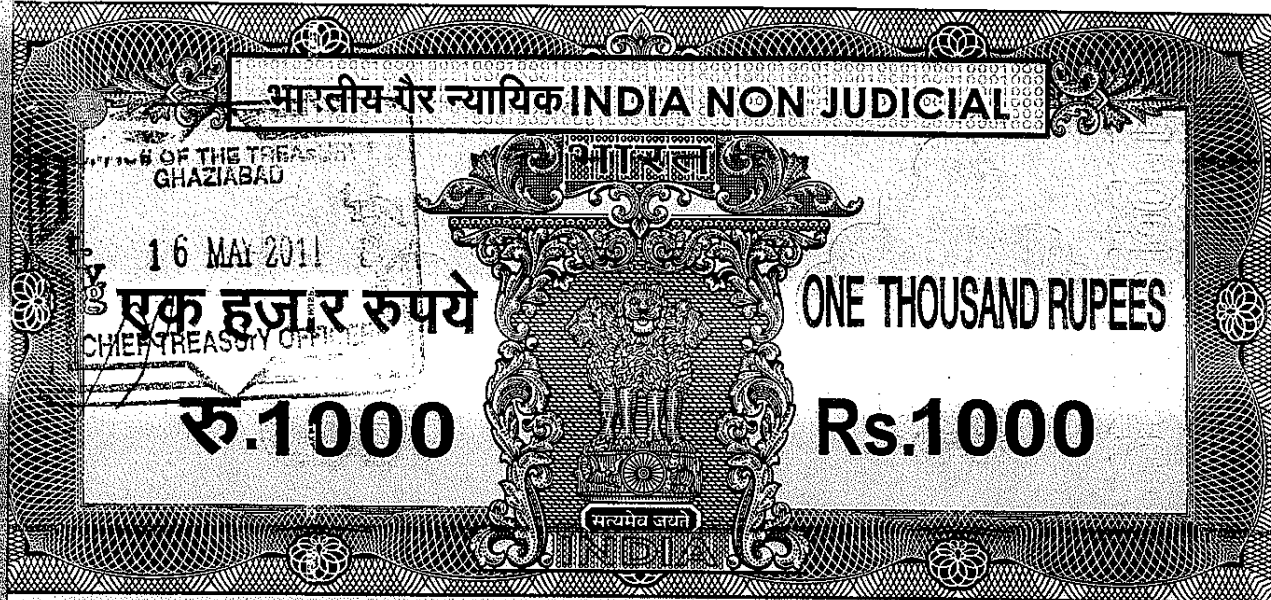
S 232960

(26)

9. अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

Ref

L



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232959

(27)

10-विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Secretary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

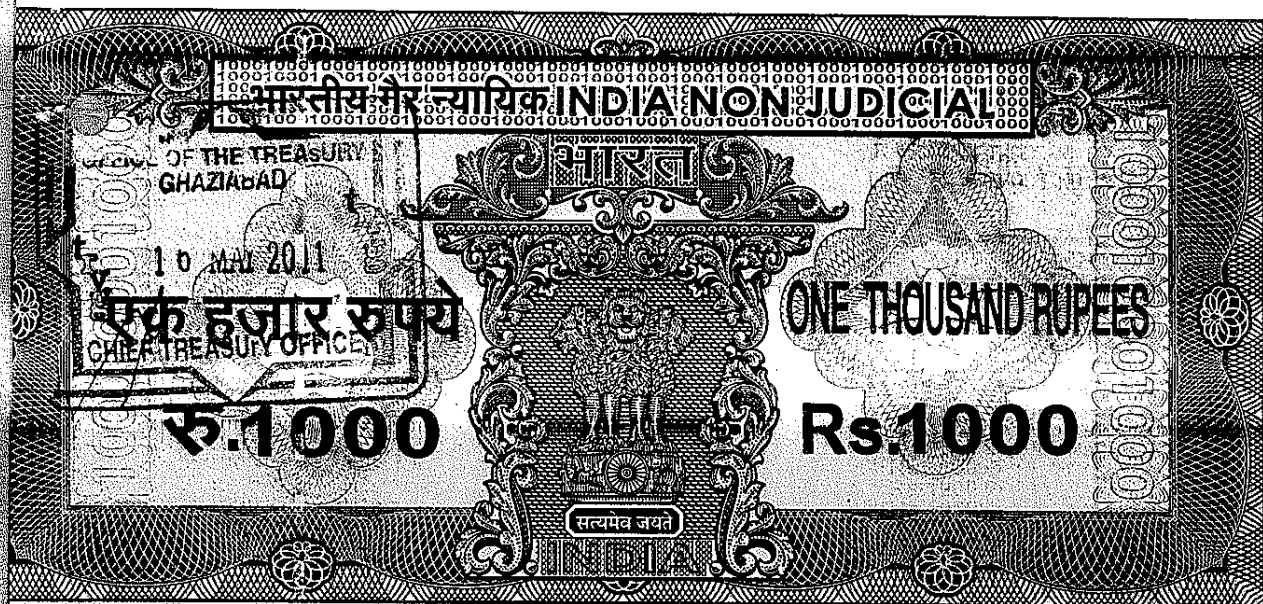
S 232958

(28)

11. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

B.T.

L.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 232957

(29)

12. विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.3390 हैक्टेयर, खाता संख्या 00470 के खसरा संख्या 2269 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील प जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

